पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 21937

==========

श्रीमती प्रतिमा कुमारी, पति- श्री सुधीर कांत रॉय, निवासी- ग्राम/मोहल्ला- महरौर, थाना- रोसेरा, नगर एवं जिला समस्तीपुर।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना।
3. क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर।
5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एस.ई,समस्तीपुर।
6. महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री शिवेंद्र किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सरोज कुमार

राज्य के लिए: श्री आकाश राज, एएजी 5 के एसी

==========

*सेवा कानून---**बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005**---**बिहार पेंशन नियमावली**---**नियम 43 (ख)**---विभागीय जांच---वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का उल्लंघन, कर्तव्य में लापरवाही तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में विलंब के आरोप में पांच प्रतिशत पेंशन जब्त करने के दंड के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका---तर्क यह है कि चूंकि सेवानिवृत्ति की तिथि को याचिकाकर्ता के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के अंतर्गत कोई विभागीय कार्यवाही प्रारंभ/लंबित नहीं थी, ऐसे में कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के अंतर्गत कार्यवाही में परिवर्तित करना उचित नहीं है तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर है---आगे तर्क यह है कि जांच रिपोर्ट के साथ-साथ द्वितीय कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता को संप्रेषित नहीं किया गया तथा जांच स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई, क्योंकि न तो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा न ही मौखिक गवाह। जांच के दौरान विभाग द्वारा जांच की गई।*

निर्णय: यह स्थापित है कि विभागीय कार्यवाही में, विभाग को ठोस दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके आरोपों को सिद्ध करना होता है। आरोप सिद्ध करने का दायित्व दोषी कर्मचारी पर नहीं है, बल्कि विभाग पर है। अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाला जांच अधिकारी स्वतंत्र निर्णायक की स्थिति में होता है तथा उसे विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकारी का प्रतिनिधि नहीं माना जाता। जांच अधिकारी ने गवाहों की जांच किए बिना तथा केवल प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की टिप्पणी तथा याचिकाकर्ता द्वारा आरोपों पर प्रस्तुत बचाव पर विचार किए बिना अपनी स्वयं की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ कोई दूसरा कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया। जांच रिपोर्ट तथा दंड आदेश को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता को तीन महीने की अवधि के भीतर मौद्रिक लाभों सहित सभी परिणामी लाभों का भुगतान किए जाने का हकदार माना गया। रिट स्वीकृत। (पैरा 1, 6, 8, 10, 21-25)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

<u>निर्णय और व्यवस्था</u>

सी.ए.वी.

दिनांक: 25-07-2024

याचिकाकर्ता ने कार्यालय आदेश संख्या 2679, दिनांक 11.09.2015 में निहित सजा के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत 5 प्रतिशत पेंशन जब्त कर ली गई है। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई परिणामी राहत उत्तरदाताओं को पेंशन के बकाया का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए है।

2. याचिकाकर्ता की दलीलों के अनुसार, मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि जब याचिकाकर्ता गोल्फ फील्ड रेलवे कॉलोनी इंटर स्कूल, समस्तीपुर में हेडमिस्ट्रेस के रूप में तैनात थी, तब एक कर्मचारी, शिव नंदन महतो ने रिट आवेदन सीडब्ल्यूजेसी नंबर 516/1998 दायर किया था। रिट आवेदन को दिनांक 23.09.2010 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसमें शिव नंदन महतो को बिना बकाया वेतन दिए बहाल करने का निर्देश दिया गया। एल.पी.ए. संख्या 1859/2010 शिव नंदन महतो द्वारा दायर किया गया था, जिसे 03.08.2011 को खारिज कर दिया गया था। शिव नंदन महतो द्वारा एल.पी.ए. संख्या 1859/2010 दायर किया गया था, जिसे 03.08.2011 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका

(सिविल) संख्या 312/2012 दायर की, जिसे 08.07.2013 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि उन्हें सेवा से बाहर रखे जाने की अवधि के लिए संपूर्ण बकाया वेतन का भुगतान, उनकी बहाली तक, तीन महीने के भीतर 9 प्रतिशत ब्याज सहित किया जाए।

3. उक्त आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर ने वर्ष 2013 में जारी विभिन्न पत्रों के माध्यम से याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि शिव नंदन महतो को बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

4. पत्र संख्या 54, दिनांकित 06.02.2014, याचिकाकर्ता को यह बताने के लिए दिया गया कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए और पत्र संख्या 198/13, दिनांकित 28.02.2014 द्वारा याचिकाकर्ता को शिव नंदन महतो को वेतन के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

5. सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता ने 31.05.2014 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में अपने पेंशन कागजात प्रस्तुत किये, जिन्होंने उसे शिक्षा विभाग को भेज दिया।

6. इसी बीच, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने ज्ञापांक 1729, दिनांक 16.06.2014 के तहत जारी कार्यालय आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी, जिसमें वरीय अधिकारी के आदेश का उल्लंघन, कर्तव्यहीनता और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में देरी का आरोप लगाया गया। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को जांच पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक), समस्तीपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

7. याचिकाकर्ता ने 20.08.2014 को जांच अधिकारी के समक्ष अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अपना बचाव प्रस्तुत किया, जिसमें आरोपों से इनकार किया गया तथा विशेष रूप से कहा गया कि विभागीय कार्यवाही शुरू होने की तिथि से बहुत पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा उच्च अधिकारी के आदेशों का अनुपालन किया जा चुका है। अपने बचाव में याचिकाकर्ता ने कहा कि शिव नंदन महतो की सेवा पुस्तिका स्कूल में उपलब्ध नहीं थी और डुप्लिकेट सेवा पुस्तिका का पुनर्निर्माण किया गया। शिव नंदन महतो 4-5 विद्यालयों में क्लर्क के पद पर पदस्थापित रहे, जिसका विवरण विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। उनकी पूर्व तैनाती स्थल पर उन्हें प्राप्त भुगतान का विवरण भी उपलब्ध नहीं था और यहां तक कि उनका वेतन भी निर्धारित नहीं था तथा 9 प्रतिशत ब्याज सहित वेतन का बकाया लगभग 30 वर्षों की अवधि से संबंधित था। याचिकाकर्ता के ईमानदार प्रयासों के कारण डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका का निर्माण किया गया तथा शिव नंदन महतो द्वारा पूर्व पदस्थापन स्थान पर प्राप्त भुगतान का विवरण प्राप्त किया गया तथा शिव नंदन महतो का

वेतन निर्धारित किया गया, तत्पश्चात लेखा शाखा, समस्तीपुर द्वारा इसकी संपुष्टि/अनुमोदन किया गया, तत्पश्चात ब्याज सहित बकाया वेतन की राशि की गणना की गई। कोषागार के समक्ष बिल प्रस्तुत किए गए, जिस पर आपत्ति जताई गई, जिसे याचिकाकर्ता ने पूरा किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ब्याज सहित वेतन के बकाए का पूरा भुगतान शिव नंदन महतो को 09.02.2014 को किया गया। याचिकाकर्ता 31.05.2014 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 31.05.2014 को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद मालिक और नौकर का संबंध समाप्त हो गया और प्रतिवादियों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करना संभव नहीं था। कार्यालय आदेश, ज्ञापन संख्या 1863, दिनांक 17.06.2015, जो गैर-मौजूद कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कार्यवाही में परिवर्तित करने की मांग करता है वो अवैध है। चूंकि सेवानिवृत्ति की तिथि पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत कोई विभागीय कार्यवाही प्रारंभ/लंबित नहीं थी, इसलिए कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अंतर्गत कार्यवाही में परिवर्तित करना उचित नहीं था और अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

9. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही शुरू की जा सकती है और परंतुक (ए) (आई) के अनुसार, नियम 43 (बी) के तहत कार्यवाही केवल राज्य सरकार की मंजूरी से शुरू की जा सकती है, लेकिन वर्तमान मामले में कोई मंजूरी नहीं ली गई है। इसके अलावा, नियम 43 (बी) के परंतुक (ए) (iii) के अनुसार विभागीय कार्यवाही उन कार्यवाहियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जानी चाहिए, जिनके आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट, दिनांक 16.05.2015, के साथ-साथ दूसरा कारण बताओ नोटिस, दिनांक 25.06.2015, याचिकाकर्ता को उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज घर के पते पर नहीं भेजा गया, जहां याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति के बाद रह रही थी, इस प्रकार, याचिकाकर्ता दूसरे कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकी। अनुशासनिक प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश में गलत दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण बताओ नोटिस पर विचार करने के बाद, तथा उसे भी संतोषजनक न पाए जाने के बाद, दंड का आदेश पारित किया गया है। यह पूरी तरह से रिकॉर्ड की त्रुटि है। जांच विभागीय जांच के लिए लागू स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी क्योंकि जांच के दौरान न तो प्रस्तुतिकरण अधिकारी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही विभाग द्वारा मौखिक गवाहों की जांच की गई।

जांच अधिकारी ने बिना किसी सबूत के आरोपों को अपनी मर्जी से साबित कर दिया। यहां तक कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने भी जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपने अभिवेदन में कहा है कि दोषी को कर्तव्य में लापरवाही और अवज्ञा के आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। चूंकि, जांच रिपोर्ट के साथ दूसरा कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया था, इसलिए दिनांक 11.09.2015 का दंड आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन है।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **शंभू सरन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**, **2000 (1) पीएलजेआर 665** में रिपोर्ट किए गए, **डॉ. उषा जायसवाल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**, **2012 (1) पीएलजेआर 143** में रिपोर्ट किए गए, **उदय सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**, **2017 (1) पीएलजेआर 908** में रिपोर्ट किए गए और **अर्जुन प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**, **2013 (1) पीएलजेआर 801** में रिपोर्ट किए गए मामलों पर भरोसा किया है।

12. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए और याचिकाकर्ता को दूसरे कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को पेंशन की 5 प्रतिशत राशि जब्त करने की सजा दी गई है।

13. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है, जिसमें आक्षेपित आदेश भी शामिल है।

14. याचिकाकर्ता द्वारा 18.09.2023 को दायर पूरक हलफनामे में, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से कहा है कि दूसरा कारण बताओ नोटिस, दिनांक 25.06.2015 और जांच रिपोर्ट की प्रति, दिनांक 16.05.2015, सेवा पुस्तिका में दर्ज उसके घर के पते पर नहीं भेजी गई/नहीं दी गई, जहां याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति के बाद रह रही थी। इस प्रकार, वह जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के बचाव में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकी।

15. याचिकाकर्ता द्वारा कुछ और प्रार्थना जोड़ने के लिए 18.09.2023 को आई.ए. संख्या 2/2023 दायर की गई, जिसमें उसके बयान को दोहराया गया कि 16.05.2015 की जांच रिपोर्ट की प्रति, दूसरे कारण बताओ नोटिस के साथ याचिकाकर्ता को उसके स्थायी पते पर नहीं भेजी गई, जैसा कि सेवा पुस्तिका में उल्लेख किया गया है।

16. प्रतिवादी-राज्य द्वारा 24.06.2024 को एक समेकित जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, लेकिन पूरक हलफनामे में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए विशिष्ट बयान के साथ-साथ जांच रिपोर्ट की प्रति की सेवा के संबंध में आई. ए. संख्या 2/2023 और दूसरे कारण बताओ नोटिस से इनकार नहीं किया गया है।

17. दंड के आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने यह तथ्य दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता ने दूसरा कारण बताओ का उत्तर प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से प्रस्तुत उत्तर की प्रति प्रतिवादियों द्वारा नहीं लाई गई है। याचिकाकर्ता के इस कथन कि उसे जांच रिपोर्ट की प्रति तथा दूसरा कारण बताओ की प्रति नहीं दी गई, को राज्य द्वारा जवाबी हलफनामे में अस्वीकार नहीं किया गया है।

18. दूसरा कारण बताओ नोटिस, दिनांक 25.06.2015 (अनुलग्नक 7) से पता चलता है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने याचिकाकर्ता को स्कूल के पते पर नोटिस भेजा था; जबकि याचिकाकर्ता 31.05.2014 को ही स्कूल से सेवानिवृत्त हो चुकी थी। याचिकाकर्ता का तर्क सही है कि जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ दूसरा कारण बताओ नोटिस उसे उसके स्थायी घर के पते पर नहीं भेजा गया, जो सेवा पुस्तिका में उपलब्ध है।

19. तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दूसरा कारण बताओ नोटिस, दिनांक 25.06.2015 और जांच रिपोर्ट की प्रति, दिनांक 16.05.2015, याचिकाकर्ता को संप्रेषित/प्रदान नहीं की गई थी और आक्षेपित आदेश में इसका संदर्भ रिकॉर्ड की त्रुटि के अलावा और कुछ नहीं है।

20. केवल इसी आधार पर दंड का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

21. जिस तरीके से जांच की गई वह भी स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है क्योंकि जांच अधिकारी ने जांच के दौरान किसी गवाह से पूछताछ नहीं की और आरोपों को साबित करने के लिए विभाग/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता ने दूसरे कारण बताओ नोटिस में अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। यह निष्कर्ष पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है। अब तक यह स्थापित हो चुका है कि विभागीय कार्यवाही में विभाग को ठोस दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके आरोपों को साबित करना होगा। दोषी कर्मचारी पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी विभाग पर है और दोषी कर्मचारी के खिलाफ मामले के समर्थन में गवाह पेश करना भी विभाग का काम है।

22. अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाला जांच अधिकारी एक स्वतंत्र निर्णायक की स्थिति में होता है। उसे विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकरण का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। उनका कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करना है, यहां तक कि दोषी अधिकारी की अनुपस्थिति में भी, ताकि यह देखा जा सके कि आरोपों को सिद्ध करने के लिए अखंडित साक्ष्य पर्याप्त हैं या नहीं। वर्तमान मामले में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। किसी मौखिक साक्ष्य की जांच नहीं की गई है और दस्तावेजों को भी साबित नहीं किया गया है। जांच अधिकारी ने गवाहों की जांच किए बिना तथा केवल प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की टिप्पणी और याचिकाकर्ता द्वारा

लगाए गए आरोपों पर प्रस्तुत बचाव पर विचार किए बिना अपनी स्वयं की गवाही पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

23. इस प्रकार, मेरी राय में, जांच स्वयं ही दूषित हो गई।

24. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जांच स्थापित प्रक्रिया का घोर उल्लंघन करते हुए की गई थी और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। जांच अधिकारी एक स्वतंत्र निर्णायक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ कोई दूसरा कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया। तदनुसार, मेरी राय में, पूरी जांच और विभागीय कार्यवाही दोषपूर्ण हो गई।

25. तदनुसार, जांच रिपोर्ट दिनांक 16.05.2015 तथा दंड आदेश दिनांक 11.09.2015 को अपास्त किया जाता है।

26. याचिकाकर्ता आज से तीन महीने की अवधि के भीतर मौद्रिक लाभ सहित सभी परिणामी लाभ का भुगतान पाने का हकदार है।

27. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका स्वीकार किया जाता है।

28. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।